एकल पीठ

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायपीठ, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 269 / 2006</u>

<u>आवेदक :</u>

जितेन्द्र सिंह ठाकुर, आयु लगभग 41 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय श्री आर.एस. ठाकुर, निवासी- तिलक नगर, बिलासपुर, डॉ. देवरस के निवास के सामने, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उत्तरवादी :</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, वित्त विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर, विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)
4. महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

<u>रिट याचिका क्रमांक 1807/05 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2005 के पुनर्विलोकन</u>

<u>हेतु आवेदन।</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल प्रकरण क्रमांक 269 / 2006

<u>आवेदक</u> : जितेन्द्र सिंह ठाकुर

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिसंचरण द्वारा **(By Circulation)**

आदेश

(दिनांक 15 सितंबर, 2006 को पारित)

1. वर्तमान आवेदन, रिट याचिका क्रमांक 1807/2005 में पारित आदेश दिनांक 2.9.2005 के पुनर्विलोकन हेतु, नए और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य की खोज के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह पुनर्विलोकन आवेदन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियमावली, 2005 के अध्याय-**VI**, नियम 76 (2) के तहत विचारार्थ चैंबर में परिचालित किया गया था।

2. मैंने पुनर्विलोकन आवेदन और रिट याचिका क्रमांक 1807/2005 के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक

2.9.2005 को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था कि अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं था।

3. रिट याचिकाकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अधिक अंक दिए जाने चाहिए थे और उस आधार पर यह प्रार्थना की गई थी कि रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 2 और 5 को एस.ए.एस. भाग-II के चतुर्थ और पंचम प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्देशित किया जाए। यह आगे प्रार्थना की गई थी कि रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 2 को अनुगामी घटनाओं के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. न्यायालय ने दस्तावेजों के परीक्षण और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि संबंधित प्राधिकारियों को उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु निर्देश देने का कोई प्रावधान नहीं था।

5. इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1807/2005 में पारित आदेश दिनांक 2.9.2005 के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 22776/2005 प्रस्तुत की थी। माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 6.3.2006 (संलग्नक ए/4) द्वारा विशेष अनुमति याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

6. पुनर्विलोकन आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जिसमें यह पाया गया कि उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, एक श्री सालिक राम बंसोड़ को सफल घोषित किया गया था। यह तथ्य भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि पत्र दिनांक 22.1.2005 (संलग्नक ए/10) द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग-II में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के अनुरोध को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था कि पुनर्मूल्यांकन की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में दी गई थी। पुनर्विलोकन के आवेदक ने ऐसा कोई नियम या कार्यपालिक निर्देश प्रस्तुत नहीं किया है, जो छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग-II या अन्यथा उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान करता हो। अतः, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1807/2005 में पारित आदेश दिनांक 2.9.2005 के पुनर्विलोकन का कोई कारण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती मीरा भांजा विरुद्ध श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी (ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट 455), लिली थॉमस आदि विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य(ए.आई.आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट 1650), अजीत कुमार रथ विरुद्ध ओडिशा राज्य एवं अन्य (ए.आई.आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट 85), तमिलनाडु सरकार एवं अन्य विरुद्ध एम. अनंचु**

आसारी एवं अन्य {(2005) 2 एस.सी.सी. 332} और केरल राज्य विद्युत बोर्ड विरुद्ध हाईटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड एवं अन्य {(2005) 6 एस.सी.सी. 651} के प्रकरणो में अभिनिर्धारित किया गया है।

8. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों से, यह पुनर्विलोकन आवेदन इस आधार पर खारिज किया जाता है कि यह पुनर्विलोकन आवेदन विधि के अनुसार आदेश के पुनर्विलोकन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका का आवेदक पुनर्विलोकन आवेदन की आड़ में प्रकरण की पुनः सुनवाई चाहता है, जो इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1807/2005 में पारित आदेश दिनांक 2.9.2005 द्वारा निस्तारित हो चुका है।

9. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।